न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017/00004

उनवानी :–

1– करतार पुत्र प्रका ा(मृतक)

1/1– मुस0 हेमलता बेवा करतार

1/2– कुमारी ई ाा पुत्री करतार नाबलिग सरपरस्ती माता खुद हेमलता।

1/3– महावीर पुत्र करतार

2– विका ा उर्फ बन्टी पुत्र भयोदन सिंह जातियान गुर्जर निवासी ग्राम रामबाग तहसील डीग जिला भरतपुर।

अपीलांट–––––––––––––

बनाम

1– मुस0 रामा धर्म पत्नी हरवीर

2– हरवीर पुत्र बल्लो

3– गिर्राज प्रसाद पुत्र भज्जू जातियान गुर्जर निवासीयान रामबाग तह0 डीग

––––––प्रतिवादीगण/असल रेस्पो

4– तहसीलदार

5– जहान सिंह पुत्र विरजी

6– गुल्लू पुत्र विरजी

7– जगराम पुत्र विरजी

8– सौनू पुत्र भयोदान

9– मुस0 मंगली बेवा प्रका ा

10– रमेश पुत्र प्रकाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामबाग तहसील डीग

11– महेश पुत्र प्रकाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामबाग तहसील डीग

–––––––––तरतीवी रेस्पो

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकरी न्यायालय उपखंड अधिकारी डीग भरतपुर दिनांक 02.08.2016 मु0न0 146/2013 उनवानी करतार बनाम रामा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1— वकील अपीलांट श्री कारे सिंह एड0

2—वकील रैस्पो0 श्री राजेश गुप्ता एड0

निर्णय   दिनांक 25.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 37/0.98 ग्राम रामबाग तह0 डीग में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि गई। रेस्पो को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी बाबत अधि0 न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन देते हुए भी गलत तरीके से नगर पालिका डीग से पट्टा जारी करा लिया है, जबकि पट्टेदार का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित नहीं था। ऐसी दशा में अपीलार्थी राजस्व न्यायालय से विभाजन करा पाने का अधिकारी है। अधि0 न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है जबकि विभाजन का मामला राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधि0 न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। एवं मूलवाद अधि0 न्यायालय के गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधि0 न्यायालय को प्रति प्रेशित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलार्थी ने न्यायिक दृश्टांत आर.आर.डी 1996 पेज 540, आर.आर.डी 2012 पेज 492 पे I किये जिसके अनुसार आवादी भूमि जो का तकार के खाते में है उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों का है।

बचाव के पक्ष में वकील प्रत्यर्थी ने आर.एल.डब्लू 2016(1) पेज 197 एवं आर.आर.डी 2010(1) पेज 404 को उल्लेखित करते हुए निवेदन किया की नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और ऐसी दशा में अधि0 न्यायालय के निर्णय मे कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभय पक्ष दस्जतावेजों से प्रकट है कि विवादित आराजी खातेदार की भूमि है जो नगर पालिका में निहित नहीं हुई है। प्रत्यर्थी नें जो न्यायिक दृश्टांत पेश किये है वे केवल निशेधाज्ञा से सम्बधित है विवादित आराजी का अभी बटवारा होना शेष है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टातों के अनुरुप प्रकरण राजस्व न्यायालय के द्वारा विचारनीय पाया जाता है। अतः आदेश है कि अधि0 न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधि0 न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधि0 न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ी बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर
ब इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया

अपील संख्या 57/2010 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2010/00110
उनवानी :–
1– खेमा पुत्र टीकम(मृतक)
1/1– भगवान दास पुत्र खेमा(मृतक) निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर
1/2– लाला राम पुत्र खेमा(मृतक) निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/3– बाबू पुत्र खेमा(मृतक) निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
2– देवी पुत्र श्री टीकम जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट————————

बनाम

1– मूला पुत्र कुवरपाल(मृतक)
1/1– नारायण सिंह उम्र 50 साल पुत्र श्री मूला(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/2– टुनिया उम्र 35 साल पुत्र श्री मूला(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/3– सोनी उम्र 30 साल पुत्र श्री मूला(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/4– लीला उम्र 28 साल पुत्र श्री मूला(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/5– प्रेमसिंह उम्र 25 साल पुत्र श्री मूला(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
1/6– कलावती वेबा मूला उम्र 75 साल जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
2– तेजा पुत्र श्री कुँवरपाल जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
3– देवीसिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
4– रतनदेवी पत्नि अमरसिंह जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
5– छीतरिया पुत्र श्री चूरामन जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
6– चरन सिंह पुत्र चूरामन जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
7– श्रीमती जावित्री पत्नि चूरामन(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
8– नत्थी पुत्र रामजीलाल(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
9– कन्हैया पुत्र रामजीलाल(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
10– भिक्की पुत्र कन्हैया जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
11– श्रीमती हरप्यारी पत्नि रामजीलाल(मृतक) जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।
12– डूगर पुत्र श्री कुँवरपाल जाति धीमर निवासी ग्राम नौह तहसील व जिला भरतपुर।

रैस्पो0——————

आज दिनांक 18.12.2017 को बहाजरी व वकीलअपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा रेस्पांडेन्ट श्री सोनीराम शर्मा डिकरी दी जाती है कि आदे ा है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष न रख पाने एंव लिमिटे ान के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2017 की जारी की गई।

(जे0एन0मथुरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पै,	मुद्दायलाह	रूपया	पै,
स्टाम्प अपील स्टाम्प वकालतनामा	02 01	0 0	स्टाम्प जवाब स्टाम्प वकालतनामा	00 01	0 0
मीजान	03	0	मीजान	01	0